न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर.ए.एस)

अपील संख्या 67/2021(223.आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2021/142

उनवानी :–

1–परमसुख पुत्र मोती जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (मृतक)।

1/1 तोता पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

1/2 वसन्ती
1/3 लच्छो
1/4 रामश्री
1/5 विरमा
1/6 रज्जो

} पुत्रीयां परमसुख जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांटान

बनाम

1–मंगली पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्याया.उपखंड अधिकारी कुम्हेर तारीख 31.03.2005 मिसिल न0 638/02 व उनवानी मुकदमा मंगली बनाम परमसुख

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील संख्या 66/2021 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2021/141

उनवानी :–

1–परमसुख पुत्र मोती जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (मृतक)।

1/1 तोता पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/2 वसन्ती
1/3 लच्छो
1/4 रामश्री
1/5 विरमा
} पुत्रीयां परमसुख जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील . कुम्हेर जिला भरतपुर।

1/6 रज्जो

..................अपीलांटान

बनाम

1–मंगली पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी नगला मना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

..................रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्याया.उपखंड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कुम्हेर दिनांक 31.03.2005 उनवानी मंगली बनाम
परमसुख मु0न0 644/02

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 10.11.2023

1. उक्त दोनों अपीलो अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के आदेश दिनांक 31.03.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलो की विषयवस्तु, पक्षकार एक समान होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक—एक प्रति, पृथक—पृथक पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 67/21 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी के पिता आपस में सगे भाई थे। वादी के मृतक पिता परभाती पुत्र मटोली के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 461, 471 किता 2 रकवा 0.45 वाके ग्राम खेडा कारौली व आराजी खसरा नम्बर 171, 213, 215 किता 3 रकवा 0.89 एयर वाके ग्राम नगला मना तहसील कुम्हेर में स्थित हैं। वादी की मॉ मु0 परवो का देहान्त हुआ जब वादी 5 वर्ष का था। वादी का पालन पोषण वादी के पिता परभाती व प्रतिवादी की माता भूरी ने किया। प्रतिवादी के पिता मोती का देहान्त सन् 1945 के आस पास हुआ। उस समय वादी 10 वर्ष का था। प्रतिवादी की मॉ का देहान्त बाद में, विधवा के रूप में हुआ था। वादी परभाती पुत्र मटोली के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी की आराजी मुत0 पर विरासतन काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आराजी खसरा नम्बर 2550/0.54, 2551/0.50 वाके किशनपुरा तहसील कुम्हेर जो परभाती व मोती के पिता मटोली के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी पर मटोली के बाद परभाती व मोती काबिज रहे, बाद में वादी व प्रतिवादी वहिस्सा बराबर काश्त कर रहे हैं। वादी व उसके मृतक पिता परभाती के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी की आराजी ग्राम नगला मना व खेडा करौली से प्रतिवादी एवं उसके पूर्व मृतक पिता मोती का कोई संबंध नहीं रहा। प्रतिवांदी बदनियत किस्म का आदमी है उसने अपनी माता भूरी के सहयोग से व वादी की परिवरिस प्रतिवादी के साथ —साथ करने के आधार पर आरजी खसरा नम्बर 2550, 2551 वाके ग्राम किशनपुरा के सालिम रकवे पर मोती पुत्र मटोली से विरासतन कब्जे काश्त के आधार पर इन्द्राज करा लिये जबकि पैतृिक भूमि में वादी का भी निष्फ हिस्सा है। प्रतिवादी परमसुख ने ग्राम खेडा करौली व नगला मना की आराजी पर भी खातेदारी हकूक घोषित कराने हेतु दावा परमसुख बनाम मंगली दायर किया था तथा दावा लम्बित रहते हुये, राजस्व अभियान के दौरान वादी की बिना जानकारी के स्थगन आदेश को छुपाकर नगला मना की आराजी किता 3 रकवा 0.89 एयर का दाखिला खारिज 1/2 हिस्से का प्रतिवादी ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नाम करा लिया, जो कतई गलत है। इस अवैध एवं शून्य दाखिला खारिज के आधार पर ग्राम नगला मना व खेडा करौली की आराजी से प्रतिवादी, वादी को बेदखल करने पर उतारू है। अतः वाद प्रस्तुत कर ग्राम खेडा करौली व नगला मना की आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्त0 दवामी पाबंद करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. अपील संख्या 66/21 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 1690 रकवा 06 बीघा 5 विस्वा एवं 1693 रकवा 03 बीघा 15 विस्वा किता दो रकवा 10 बीघा जिनके हाल नम्बर 2550/0.54, 2551/0.50 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील कुम्हेर की बाबत पेश किया। इसमें विवादित आराजी को वादी व प्रतिवादी के पिता परभाती व मोती के पिता मटोली की खातेदारी व कब्जा काश्त की होना बताया एवं मटोली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र परभाती व मोती वहिस्सा बराबर काश्त करते रहे। इसके बाद वादी व प्रतिवादी निष्फ हिस्से पर काबिज रहे किन्तु प्रतिवादी ने सालिम आराजी पर अपना नाम वादी की लाइल्मी में दर्ज करा लिया जो गलत व अवैध है। शेष इवारत पूर्व दावे संख्या 638/02 की अंकित की गयी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2550, 2551 वाके ग्राम किशनपुरा पर वादी को निष्फ भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे रहे गलत इंद्राजो को कलजन करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में तीन दावे प्रस्तुत हुये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने तीनो दावो को समेकित करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि दो दावो में विवादित भूमि अलग–अलग थी एवं वाद की विषय वस्तु एवं तथ्य अलग–अलग थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तीनो दावो को समेकित करने में भारी भूल की है। सजरा भी सही प्रस्तुत नहीं किया। सजरा में परवो को वेवा लिखा गया है एवं जीवनकाल में निधन होना भी अंकित किया है, दोनों ही कथन विरोधाभाषी हैं। मतदाता सूची में मंगली पुत्र मोती दर्ज है जबकि सजरा में मंगली को परभाती का पुत्र बनाया है। पैतृक आराजी का कोई दस्तावेज रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम खेडा करौली व नगला मना की आराजी का खातेदार परभाती था जो लावल्द विला औरत फौत हो गया। जिसके वारिस मंगल और परमसुख

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दोंनों हैं। तहसीलदार ने परभाती की आराजी पर मंगली व परमसुख के वारिस मानकार दोंनों के नाम दाखिला खारिज करने के आदेश दिये थे। मंगली को परभाती का पुत्र नहीं माना बल्कि मोती का पुत्र माना। इस दावे में जो तनकी संख्या 01 कायम की थी उसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के हक में किया है तो कतई गलत है एवं रैस्पो0 को परभाती का पुत्र गलत माना है। पटवारी की रिपोर्ट एवं दैनिक डायरी में मंगली, मोती का लडका साबित हुआ है ना कि परभाती का। अतः वादी रैस्पो0 का दावा कतई गलत डिक्री किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014(1) पेज 695, एआईआर 2011 पेज 2344 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

6. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि मंगली मोती का पुत्र है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हो जाता है। स्वयं अपीलांट ने अपने बयान जिरह में यह स्वीकार किया है कि मेरी मॉ का नाम भूरी था। मंगली की मॉ का नाम परवो हो तो पता नहीं। मैं मोती का एक मात्र पुत्र हूँ यह बयान मुकदमा नंम्बर 644/02 में शामिल है। इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी/रैस्पो0 मंगली परभाती का पुत्र है तथा प्रतिवादी/अपीलाण्ट परमसुख, मोती का पुत्र है। दोंनों अलग–अलग पिता की औलाद हैं। सगे भाई नहीं है। परभाती विला औलाद फौत नहीं हुआ। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा नम्बर 638/02 में अपीलाण्ट ने स्वयं अपनी जिरह विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति होना माना है। इस प्रकार अपीलाण्ट की सारी आपत्तियॉ सारहीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार तार्किक है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआई आर 1960 पेज 100, आरबीजे 2012 पेज 547, आरआरडी 1992 पेज 488, 1989 पेज 317, 572, 1990 पेज 649 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1960 पेज 100, आरबीजे 2012 पेज 547, आरआरडी 1992 पेज 488, 1989 पेज 317, 1989 पेज 572, 1990 पेज 649 का उद्धरण पेश किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रमुख मुद्दा यह है कि मंगली मोती का पुत्र है अथवा परभाती का। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य बाबत् प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों ही पक्षो ने इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपनी–अपनी ओर से, अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य/गवाह आदि प्रस्तुत किये हैं। हमारे मत में उत्तराधिकारिता का प्रश्न को तय करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। उत्तराधिकारिता का प्रश्न केवल सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण में पूर्ण चस्पा होती हैं। लिहाजा हम दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

8. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय दिनांक 31.03.2005 अपास्त किये जाकर उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है वह उत्तराधिकारिता का प्रश्न, माननीय सिविल न्यायालय से तय कराते हुये, तत्पश्चात् अपने अधिकारो की चाराजोही राजस्व न्यायालय में करें। दोंनों अपील पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर